जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) एवं जिला कलेक्टर धौलपुर

क्रमांकः लेखा/सा.अंके./2018–19/556 दिनांकः 23/5/18

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले की पाचों पंचायत समितियों की 171 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यो/आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं ग्राम सभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण आदि हेतु पूर्णतः जॉब कार्य आधार पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन/पैनल के लिए निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

विवरण	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	आयु (01.01. 2018)	संभावित संख्या	प्रति कार्य दिवस निर्धारित मानदेय	आवेदन जहां करना है
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	स्नातक या समकक्ष – अनुभव एवं सदस्यता – प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे–भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी राजीविका स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)के सदस्याओं को पर्यावरण एवं अन्य संगठन) से ऐसे व्यक्ति जिनको जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव हो। सेवा निवृत्त केन्द्र, राज्य, बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसाइटी संगठनो के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का अनुभव।	21 से 65	50	325/– रू0	संबधित पंचायत समिति कार्यालय अंतिम तिथि 05/06/2018
ग्राम संसाधन व्यक्ति (GRP	माध्यमिक (12वीं पस या स्नातक को वरीयता) अनुभव एवं सदस्यता– प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे–भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेशनर्स वेलफेयर सोसायटी राजीविका स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)के सदस्याओं को प्राथमिकता एवं अन्य संगठन) से ऐसे व्यक्ति जिनको जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव हो।	21 से 65	246	225/– रू0	संबधित पंचायत समिति कार्यालय अंतिम तिथि 05/06/2018

नोट – आवेदन पत्र का प्रारूप एवं संबन्धित विस्तृत विवरण/शर्ते निदेशालय सा.अंके. ग्रावि एवं परा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 61(24) ग्रावि/म.न./नि.सा.अ./18–19/865 दिनांक 07.05.18 के अनुसार होगी जो वेबसाईट www.rdprd.gov.in एवं जिले की बेवसाईट dholpur.rajasthan.gov.in , sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

upload on website 23/05/18

अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर

क्रमांकः सम/

दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ –

1. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण महोदया ग्रा0वि0 एवं पंचायतीराज विभाग निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर।
2. ए.सी.पी. अधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न पत्र/विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के दोनों प्रारूपों को बेवसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
3. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी पं0स0 धौलपुर/राजाखेड़ा/बाड़ी/बसेड़ी/सैपऊ को पंचायत समिति कार्यालय/सेवा केन्द्र/पंचायत भवन/सार्वजनिक भवन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं बीआरपी/जीआरपी के आवेदन पत्र संग्रहित कर निर्देशानुसार तैयार वरीयता सूची/पैनल दिनांक 11/06/2018 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करने तथा जीआरपी चयन कर सूची साथ ही प्रेषित करने एवं सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही विभागीय निर्देशानुसार करने बाबत।
4. सम्पादक राजस्थान पत्रिका धौलपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति न्यूनतम स्पेश मे एक स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशित कराने का श्रम करें। बिल की प्रति डीपीआर की दरों सहित इस कायालय को प्रस्तुत करें।
5. संस्थापन शाखा नरेगा सेल धौलपुर को बीआरपी चयन हेतु जिले की समेकित वरीयता सूची/पैनल दिनांक .... को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
6. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/जिला परिषद/जिला सूचना केन्द्र/तहसील/नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
7- रक्षित पत्रावली।

अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

(E mail : socialaudit_raj@yahoo.com, socialaudit.raj@gmail.com, Tel. 2227033)

क्रमांक एफ.61(24) ग्रावि. / म.न. / नि.सा.अ. / 18–19 / 865   जयपुर दिनांक 7.5.2018

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषय:– महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों व ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों / आवासों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इन्ही प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य तथा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों तथा ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की जावे :–

1 सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन एवं प्रशिक्षण :–

1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण प्रयोजन के लिए प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों से जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित कर समुचित संसाधनों सहित अभिनियोजित किया जाना है।

1.2 सामाजिक अंकेक्षण समिति में कुल 6 सदस्य होंगे जिनमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति तथा 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति सम्मिलित होंगे। सामाजिक अंकेक्षण समिति के सभी सदस्य (एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति) उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कार्य करेंगे।

2 **ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन समिति एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :–**

2.1 **शैक्षणिक योग्यता :–**

(अ) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–	कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास
(ब) ग्राम संसाधन व्यक्ति :–	कम से कम माध्यमिक परीक्षा पास (बारहवी पास या स्नातक को वरीयता)

2.2 अनुभव एवं सदस्यता :–

(अ) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :– प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे–भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन)से ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं। सेवा निवृत्त केन्द्र, राज्य, बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक हो।

Scanned by CamScanner

(ब) **ग्राम संसाधन व्यक्तिः–** प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी [illegible] (जैसे–भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी [illegible] अन्य संगठन जैसे– महिला स्वयं सहायता समूह) से ऐसे व्यक्तियों का [illegible] किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और [illegible] रखते हैं।

(स) ब्लॉक संसाधन (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRP) के आगामी [illegible] प्रक्रिया में राजीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्याओं जो [illegible] संसाधन (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRP) की चयन की पात्रता [illegible] हो उन्हें प्राथमिकता दी जावे।

2.3 आयु – 21 से 65 वर्ष

2.4 पैनल – सामाजिक अंकेक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों [illegible] 3 गुणा एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक ग्राम संसाधन व्यक्तियों का 3 गुणा पैनल तैयार किया जाएगा।

2.5 चयन समिति –

(अ) **ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–** चयन समिति जिला स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारियों से बनाई जा सकती है :–

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- परियोजना अधिकारी (लेखा)
- अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- उपखण्ड अधिकारी
- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
- लेखाधिकारी आंतरिक जांच दल
- सहायक अभियन्ता, आंतरिक जांच दल
- जिला संसाधन व्यक्ति

(ब) **ग्राम संसाधन व्यक्ति :–** चयन समितियॉ निम्नलिखित पदाधिकारियों की बनाई जावेगी

- ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
- पटवारी
- अध्यापक
- निदेशालय द्वारा नामांकित कर्मचारी (पंचायत समिति में पदस्थापित लेखाकार / क0लेखाकार)

2.6 <u>चयन प्रक्रिया</u> – सर्वप्रथम जिला स्तर पर पंचायत समितिवार ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु नियमानुसार स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जावे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मंगवाया जावें। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को जिला स्तर पर संग्रहित एवं परीक्षण कर निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए आवश्यक ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा तथा चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त इनके दो गुणा व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम संसाधन व्यक्तियों के प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को ब्लॉक स्तर पर संग्रहित एवं परीक्षण कर निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त इनके दो गुणा व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण समिति के गठन के समय यह आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए कि समिति का कोई भी सदस्य उस ग्राम पंचायत का निवासी नहीं हो जिसके सामाजिक अंकेक्षण के लिए उसे भेजा जा रहा है। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के लिए आवेदन पत्र का मॉडल प्रारूप संलग्न है।

Scanned by CamScanner

2.7 **ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या** – निर्धारित चयन समितियों द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाना है, तथा यह भी ध्यान रखा जावे कि एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति लगभग 4 से 8 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण करेगा एवं एक ग्राम संसाधन व्यक्ति लगभग 2 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण करेगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिस ग्राम पंचायत में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के लिए जाएंगें उनमें से कोई भी उस पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए।

2.8 **संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण** – चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को जिला स्तर पर एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को पंचायतों के कलस्टर पर या पंचायत समिति स्तर पर (जैसे–परियोजना अधिकारी लेखा, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी) प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षक दलों में पूर्व में प्रशिक्षित जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी होंगे।

3 **सामाजिक अंकेक्षण समिति (संसाधन व्यक्ति) को भुगतान** :–

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों से जॉब कार्य के आधार पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराये जाने पर निम्न प्रकार किया जाएगा :–

3.1 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को रु0 325/– प्रतिदिवस प्रतिव्यक्ति जॉब कार्य के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

3.2 05 ग्राम संसाधन व्यक्तियों (जो उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है) को रु0 225/– प्रतिदिवस प्रति व्यक्ति जॉब कार्य के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त दरों में यथा संशोधन राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर संशोधित दरें प्रभावी होंगी।

अनुपालना :– सामाजिक अंकेक्षण दल हेतु उपरोक्तानुसार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों तथा ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही सभी जिलों में 15 जून, 2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी है। जिला संसाधन व्यक्ति तथा ग्राम संसाधन व्यक्ति के चयन एवं प्रशिक्षण के पश्चात् उनके नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर एवं प्रशिक्षण अवधि आदि की सूचना ई–मेल पर निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण को 18 जून, 2018 तक निश्चित रूप से भिजवायी जावें।

5. **चयन हेतु अयोग्य** :– पूर्व में सामाजिक अंकेक्षण दल हेतु चयनित जिन ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों ने अंकेक्षण कार्य में भाग नही लिया था उनका सामाजिक अंकेक्षण दल के रूप में भविष्य में चयन नहीं किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./18–19/ जयपुर,दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.वि.प्र.) जिला परिषद्।
9. समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
11. समस्त प्रशिक्षण समन्वयक/आईसी समन्वयक/सुपरवाइजर समन्वयक जिला परिषद्।
12. स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, राजीविका मिशन, उद्योग भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मीता शर्मा)
निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण

...d by CamScanner

फोटो

"ब्लॉक संसाधन व्यक्ति" के लिए आवेदन पत्र

1.	आवेदक का विवरण	
1.1	आवेदक का पूरा नाम	....
1.2	पिता का नाम	....
1.3	जन्म तिथि	.... 01.01.2018 को आयु .... वर्ष
1.4	लिंग	पुरुष / स्त्री
1.5	गृह जिला एवं राज्य	जिला .... राज्य ....

		वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी / ग्रेड	विशेष विवरण
2.	योग्यता				
2.1	माध्यमिक परीक्षा	....			
2.2	उच्च माध्यमिक परीक्षा	....			
2.3	स्नातक	....			
2.4	स्नातकोत्तर	....			
		....			
3.	अतिरिक्त योग्यता				

3.1	क्या आवेदक ने महात्मा गांधी नरेगा में कार्य किया है ?	हां / नहीं यदि हां तो अवधि .... से .... तक .... दिवस जॉब कार्ड संख्या ....
4.	सिविल सोसाइटी संगठन का विवरण एवं अनुभव	
4.1	संगठन का नाम	....
4.2	सदस्यता अवधि	....
4.3	संगठन में सम्पादित कार्य	....
4.4	संगठन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र	....
4.5	यदि सेवा निवृत है तो पूर्व सेवा विवरण	कार्यग्रहण............ सेवानिवृत्ति दिनांक............ सेवानिवृत्त पद............ विभाग या संस्था ....
5.	पत्र व्यवहार का विवरण	
5.1	पूर्ण पता	....
		गांव / शहर .... पोस्ट .... पिनकोड ....
		तहसील .... जिला .... राज्य ....
5.2	फोननं0(STDकोड सहित)	लैण्डलाइन .... मोबाइल ....
5.3	ईमेल पता	....
5.4	आधार नम्बर	

C:\Users\Nrega\Desktop\Social Audit...

Scanned by CamScanner

फोटो

"ग्राम संसाधन व्यक्ति" के लिए आवेदन पत्र

1	आवेदक का विवरण				
1.1	आवेदक का पूरा नाम	....			
1.2	पिता का नाम	....			
1.3	जन्म तिथि	..............................01.01.2018 को आयु ....वर्ष			
1.4	लिंग	पुरूष / स्त्री			
1.5	गृह जिला एवं राज्य	जिला .... राज्य			
2	योग्यता	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी / ग्रेड	विशेष विवरण
2.1	माध्यमिक परीक्षा	....	....	....	....
2.2	उच्च माध्यमिक परीक्षा	....	....	....	....
2.3	स्नातक	....	....	....	....
3	क्या आवेदक ने महात्मा गांधी नरेगा में कार्य किया है ?	हां / नहीं यदि हां तो अवधि ....से..................तक ....दिवस जॉब कार्ड संख्या			
4	सिविल सोसाइटी संगठन का विवरण				
4.1	संगठन का नाम	....			
4.2	सदस्यता अवधि	....			
4.3	संगठन में सम्पादित कार्य	....			
4.4	यदि सेवा निवृत है तो पूर्व सेवा विवरण	कार्यग्रहण................सेवानिवृत्ति दिनांक.............सेवानिवृत्त पद........... विभाग या संस्था			
5	पत्र व्यवहार का विवरण				
5.1	पूर्ण पता	.... गांव / शहर ....पोस्ट ....पिनकोड..................... तहसील .... जिला .... राज्य			
5.2	फोननं0(STDकोड सहित)	लैण्डलाइन ....मोबाइल..................................			
5.3	ईमेल पता	....			
5.4	आधार नम्बर				

Scanned by CamScanner